दिनांक 15 और 16 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की 65वीं बैठक में हुई चर्चा का रिकॉर्ड

केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड (केब) की 65वीं बैठक का आयोजन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, **श्री प्रकाश जावडेकर** की अध्यक्षता में दिनांक 15 और 16 जनवरी 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ। इस दो दिवसीय बैठक में माननीय केन्द्रीय मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री , श्री थावर चंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नक़वी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर , युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉक्टर महेश शर्मा, संस्कृति राज्य मंत्री और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डॉक्टर सत्य पाल सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री (उच्चतर शिक्षा) ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ 22 राज्यों के शिक्षा मंत्री, 28 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, कैब के सदस्य, स्वायत्त संगठनो के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति और श्री के.के. शर्मा, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग और सदस्य सचिव, केब और श्री अनिल स्वरूप, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भी उपस्थित थे। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध I** पर दी गई है।

प्रथम दिवस स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग

डॉ . एन सरवणा कुमार, संयुक्त सचिव (पी एंड आईसीसी) एमएचआरडी ने माननीय केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों और अन्य आमंत्रित व्यक्तियों का बैठक में स्वागत किया और श्री केवल कुमार शर्मा, सचिव, उच्चतर शिक्षा और सदस्य सचिव, केब को अपनी परिचयात्मक टिप्पणियाँ देने का अनुरोध करते हुए पहले दिन की कार्यवाही को शुरू किया ।

2. **श्री केवल कुमार शर्मा, सचिव, उच्चतर शिक्षा (एमएचआरडी)** ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हे दिनांक 25 अक्तूबर, 2016 को आयोजित केब की 64वीं बैठक की मुख्य सिफ़ारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होने केब के आरंभ होने के बारे में बताया और कहा कि केब एक संयुक्त निकाय है और साथ ही शिक्षा संबंधी उच्चतम सलाहकार निकाय भी है। इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं क्योंकि यह नीति निर्धारण और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन में राज्यों की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करता है। उन्होने बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली 65वीं केब बैठक की कार्यसूची का संक्षिप्त उल्लेख किया। तत्पश्चात, उन्होने माननीय मानव संसाधन मंत्री को उनका प्रारंभिक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया ।

3. **श्री अनिल स्वरूप, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षारता (एमएचआरडी)** ने सूचित किया कि पिछले डेढ़ साल में स्कूल शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए अनेक सतत और जारी

प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) डाटा के महत्व को विशेष रूप से उल्लेख किया और राज्यों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने स्कूल विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों और निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए संगत डाटा का विश्लेषण करें। उन्होने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य को पहचाने जाने की आवश्यकता है। राज्यों में आम लोगों के बीच अनेक अच्छी पहलें पहले से ही चलाई जा रही हैं और इनमे से अधिकतर काफी हद तक या तो अज्ञात है या उन्हे पहचाना नही गया है। शाला सिद्धि पोर्टल में अनेक नई पहलों को दर्शाया गया है। अत: समाभिरूपता लाने की अधिक आवश्यकता है ताकि हम पारस्परिक अनुभवों से एक साथ सीख सकें। उन्होने यह भी सूचित किया की यू-डीआईएसई के जरिए डाटा संग्रह करने का विस्तार क्षेत्र बढ़ रहा है और राज्यों से अनुरोध किया कि वे इस कार्य में अपना योगदान दें।

4. **श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री** ने अपने स्वागत भाषण में सभी केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों, केब के सदस्यों और अन्य प्रतिष्ठित पदाधिकारियों और अधिकारियों का स्वागत किया । उन्होने कहा कि केब की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ राज्यों और केंद्र के सभी अधिकारीगण शिक्षा के लिए और गुणवत्ता संवर्धन के प्रयोजनार्थ एक ही मंच पर उपस्थित हैं। उन्होने अपना यह विचार साझा किया कि शिक्षा ही ऐसा एकमात्र कारक है जो किसी व्यक्ति के विकास में और उसे उसके सपने तथा आकांक्षाएँ पूरी करने में सहायता करती है। उन्होने यह शेयर करने में खुशी जताई कि राज्यों में अनेक मंत्री, शिक्षा पोर्टफोलियो मांगते हैं, क्योंकि उन्हें आश्वस्त हैं कि केवल शिक्षा के ही जरिए जीवन बदला जा सकता है और सामाजिक- आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। उन्होने कहा कि वे राज्यों द्वारा इस दिशा में किए गए अच्छे कार्यों के बारे में सुनना चाहेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम आईसीटी और डिजिटल साधनों की व्यापक भूमिका है जिसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। स्वच्छता अभियान अत्यधिक भागीदारी के साथ एक स्वचछता अभियान में परिणत हुआ जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। समग्र व्यक्तियों को तैयार करने में शारीरिक शिक्षा का महत्व भली भांति अभिज्ञात है। उन्होने ऐसे लगभग 15 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन ब्लेंडेड प्रशिक्षण देने हेतु मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया , जिनके पास अपेक्षित अर्हताएँ नहीं थीं। वे जानते थे कि राज्य अतिरिक्त निधियाँ के लिए अनुरोध करेंगे जिन्हे मंत्रालय के पास उपलब्ध समस्त बजट के भीतर जांचा जा सकता है।

5. **महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी** ने कहा कि शिक्षा एकमात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किसी एक व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास को प्रशस्त करता है। शिक्षा एकमात्र ऐसा कारक है जो गरीबी को हटा सकती है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा हम सभी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। नई चुनौती उन विद्यार्थियों को नौकरियां उपलब्ध कराने की हैं जिन्होंनें आरटीई प्रयासों के कारण स्कूलिंग पूरी की हैं। ये विद्यार्थी तुच्छ नौकरियों को ग्रहण

करने में अनिच्छुक हैं। स्कूल शिक्षा को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होनें सिंगापुर के मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने 9वीं कक्षा से करियर काउंसलिंग को शुरू करने की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया ताकि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों का स्पष्ट रूप से आकलन किया जा सके और वे अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के सर्वाधिक उपर्युक्त नौकरियां प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने प्री-स्कूल शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया। डब्लयूसीडी ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं और पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्री-स्कूलों को विनियमित करने के लिए डब्लयूसीडी के घनिष्ठ सहयोग के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल अपेक्षित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अन्य क्षेत्र हेतु अपवंचित वर्ग के उन बच्चों को जो इस समय प्री-स्कूल की परिधि से बाहर हैं, उन्हें आंगनवाड़ियों में लाने के लिए डब्लयूसीडी का सहयोग अपेक्षित है। प्री-स्कूल शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रशिक्षण का पुन: अभिविन्यास किया जाना चाहिए। उनके पास राज्यों के लिए कुछ विशिष्ट सुझाव थें।

- स्कूल में महिला चालकों और सहायक स्टॉफ को रोजगार देना क्योंकि इससे लड़कियों और लड़कों दोनों युवाओं में विश्वास को प्ररेणा प्राप्त होती है।
- युवा विद्यार्थियों को अच्छे तथा बुरे स्पर्श के बारे में सुग्राही बनाना- सभी स्कूलों में प्रत्येक टर्म में एक बार कोमल फिल्म दिखाना। बचचों के विरूद्ध यौन अपराध के संबंध में शिकायतों के गोपनीय पंजीकरण के लिए एनसीपीसआर ने पोस्को ई-बॉक्स-छेड़छाड़ के विरूद्ध एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है। जिसमें बिना अवरोध के विद्यार्थियों की शिकायतों की रिपोर्ट की जाती है। सीबीएसई, स्कूलों की सूचना के लिए इसे अपने न्यूजलेटर में शामिल कर सकता है। स्कूल, स्कूल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दिखाए जाने के लिए उन फिल्मों की पहचान कर सकते हैं जैसे तारे जमीन पर, पैडमैन जिनमें विद्यार्थियों के लिए शिक्षा हैं।
- राज्यों को अपने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसे बहुत निरूत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
- विभिन्न धर्म के विद्यार्थियों के बीच और अधिक सहिष्णुता का संवर्धन करने के लिए उन्होंने पहले जैयी नैतिक विज्ञान कक्षाओं जैसीका सुझाव दिया, सभी धर्म की धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अन्य धर्मों की सराहना करना शुरू कर सकें।

6. **श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री** की राय थी कि यद्यपि आरटीई को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसने बृहतर नामांकन को सुनिश्चित किया है अभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास अपेक्षित है कि सामाजिक लाभवंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नामांकित किया जाए और पढ़ाई बीच में छोड़े बिना उनके अध्ययन को जारी रखा जाए। सामाजिक न्याय मंत्रालय इन लाभवंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, नि:शुल्क कोचिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। तथापि छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रणाली

इतनी खराब है कि विद्यार्थियों के कल्याण के लिए इतना अधिक किए जाने के बावजूद भी विद्यार्थी लाभांवित नही होते हैं। इसके कारण विद्यार्थियों, विशेष रूप से छात्राएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। एक अन्य चुनौती की ओर उन्होंने कहा कि विशेष बच्चे मुख्यधारा स्कूलों मं दाखिला प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए बधिर तथा मूक और अन्य विशेष बच्चे कठिनाईयों का सामना करते हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि उनका विभाग रैंप, लिफ्ट, शौचालय, इत्यादि के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करता है लेकिन कई राज्यों को इन प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है और इस प्रकार उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसे विशेष विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों का समान रूप से प्रशिक्षण महत्वपूर्ण आवश्यकता है और मौजूदा पीटीआर वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर नियंत्रण लगाने के लिए तर्क दिया। सामाजिक रूप से समान शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जो सभी वर्ग के बीच समानता को स्वीकार करती हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पाठ्यचर्या में डॉ. अम्बेडकर के पांच तीर्थ को शामिल किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संवर्धन करने की उतनी ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसी रीति से प्रदान की जानी चाहिए कि इससे सामाजिक सम्बद्धता का विकास हो ताकि क्षेत्रवाद, जातिवाद और अन्य 'वाद' का अंत हो जाए उन्होंने कह कि सामाजिक सम्बद्धता की सशक्त आवश्यकता है और यह समय की मांग है।

7. **श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनके प्रमुख सुधारों के लिए बधाई दी और हर्षपूर्ण रूप से यह शेयर किया कि जब वे संसदीय कार्य मंत्री थे तो उन्होंने जो अधिकतम सुधार पहल देखी थी वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से थी। उनके अनुसार समावेशी शिक्षा समाज का आधार और समय की मांग है और समाज के किसी भी वर्ग को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रत्येक व्यक्ति और समाज के प्रत्येक वर्ग को पहुंच और गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा में प्रमुख अंतराल और अल्पसंख्यक समूह की समस्याओं का उल्लेख किया और सूचित किया कि इस मंत्रालय द्वारा 1.5 करोड़ छात्रवृत्ति प्रदान की गई हैं जिसमें से 60% छात्रवृत्तियां लड़कियों को दी गई हैं। उन्होंने कौशल विकास, खेल तिथा स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमों पर फोकस करते हुए सदभावना मंडल प्रारंभ किए है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करें। उन्होंने उनकी विभिन्न डिजिटल पहल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सराहना की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों को खोलने का सुझाव दिया।

8. **कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, युवा कार्यक्रम तथा खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)** ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक विदेश जाता है तो हमारे देश के राजदूत के रूप में कार्य करता है और विभिन्न ढंग से उसका सम्मान किया जाता है। प्रत्येक बच्चा हमारे देश का युवा राजदूत है इसलिए शिक्षा को उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए और उन्हें स्वाभिमानी नागरिक

बनने के लिए अच्छे नैतिक मूल्य और गुण प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को मैदान में खेलने हेतु प्रोत्साहित और उन्हें इलेक्ट्रोनिक गजट और मोबाइल फोन से दूर रखा जाए। उन्होंने यह शेयर किया कि उनका मंत्रालय देश भर के सभी स्कूलों में "खेलो इंडिया" शुरू कर रहा है ताकि बच्चों को शारीरिक खेल-कूद और खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके और 31 जनवरी, 2018 से स्टार चैलन पर इसका सीधा (लाइव) प्रसारण किया जाएगा। जिसमें प्रारंभ में 16 खेलों का प्रसारण किया जाएगा। वे प्रत्येक वर्ष स्कूल स्तर से 1000 सर्वोत्तम खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं और उन्हें 8 वर्ष हेतु 5 लाख रू. की छात्रवृत्ति, प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने यह चाहा है कि राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों में इसे जुटाए जाने की आवश्यकता है ताकि खेल प्रतिभा का व्यापक आधार बनाया जा सके। उन्होंने सूचित किया कि उनका मंत्रालय भी युवा भारत की फिटनेस मैपिंग शुरू कर रहा है जिसके लिए एक मोबाइल ऐप्लीकेशन तैयार की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल पाठ्यचर्या में फिटनेस और खेलों को शामिल किया जाना चाहिए और स्कूल समय के पश्चात खेल मैदान के इष्टतम उपयोग के लिए कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं। विद्यार्थियों में सामुदायिक सेवा और स्वैच्छिक स्वयंसेवी प्रयासों के महत्व पर बल देने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह सभी अधिकारिक बैठकों और पीटीए बैठकों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और खेल कोच को आमंत्रित करते हुए उनके सम्मान और अस्मिता में वृद्धि करें। अंत में, उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि अबसे ऐसा माहौल बना रहे हैं कि "खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब"।

9. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस), 2017 के जरिए एनसीईआरटी द्वारा प्राकाशित ऑटो जेनरेटिड जिला रिपोर्ट कार्ड जारी की थी जिसमें 700 जिलों के 1,10,000 स्कूलों की कक्षा 3, 5 एवं 8 के 2.2 मिलियन छात्रों को कवर करते हुए क्षमता-आधारित अधिगम परिणामों का मूल्यांकन किया गया था।

10. **श्री मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय** ने स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता तथा जवाबदेहिता में सुधार लाने केब उप-समितियों 'सीसीई का मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन'; 'नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्री-स्कूल शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा पर विस्तार'; 'स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने संबंधी मुद्दों तथा बाधाओं और उन्हें शिक्षा प्रणाली की परिधि में लाने हेतु उपायों' और "बालिका शिक्षा के मुद्दों" संबंधी स्थिति रिपोर्ट के साथ ही साथ स्कूल शिक्षा क्षेत्र में कुछ सुधारोंपर प्राकश डालने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ विद्यालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा शारीरिक शिक्षा में डिजिटल पहल की व्यापक प्रस्तुतीकरण किया।

11. **श्री होनचुन नगनदम, माननीय शिक्षा मंत्री, अरूणांचल प्रदेश** ने सूचित किया कि उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम सुविधा शुरू की थी लेकिन जहां कहीं बिजली उपलब्ध नहीं है उन स्थानों पर उन्हें इन सेवाओं को प्रदान करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए इस

स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने सहायतार्थ मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के अन्तर्गत अलग से निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

12. **श्रीमती अनुपमा, माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश** ने अपने विचार साझा किए कि उन्होंने ब्लॉक स्तर पर स्कूल शुरू किए थे जो निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी माध्यम के 5000 स्कूल शुरू होंगे। उन्होंने शिक्षक अनुपस्थिति तथा जाली शिक्षकों की समस्या पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि समुदाय की भागीदारी के बिना इसमें सुधार नहीं किया जा सकता इसलिए वे समुदाय से 6000 माताओं का चुनाव कर रहे हैं। उन्होंने "एक स्कूल अपनाने संबंधी अभियान" शुरू किया है।

13. **श्री हिमान्ता बिस्वा, माननीय शिक्षा मंत्री, असम** ने अपने विचार साझा किए कि उन्होंने गुजरात से "गुण उत्सव" कार्यक्रम अपनाया और उसे अपनी स्थानीय जरूरतों तथा आवश्यकता के अनुसार पुन: संरचित किया जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। राज्य पूल शिक्षक योजना के अन्तर्गत 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है तथा अगले 2 वर्ष में उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और अब हमारे पास प्रत्येक स्कूल में कम-से-कम 3 अध्यापक हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा को कवर करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को स्तरोन्नत किया गया है तथा मध्याह्न भोजन योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उन्हें यह बताते हुए हर्ष हो रहा था कि वर्तमान में छात्र सरकारी स्कूलों की ओर वापस लौट रहे हैं और राज्य में निजी स्कूलों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि में कमी आ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों को केंद्रीय वित्त मंत्री से भेट करनी चाहिए और उनसे, हमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए और अधिक निधियां देने का अनुरोध करना चाहिए।

14. **श्री कदियम श्रीहरि, उप मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री, तेलंगाना** ने बैठक के आयोजन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने सूचित किया कि तेलंगाना नवीनतम राज्य है और इसने शिक्षा के लिए अनेक पहल की है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्र निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को बढ़िया मोटे चावल तथा बेहतर पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है। राज्य ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से शिक्षकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शुरू किया है। आवासीय स्कूलों को चलाने में तेलंगाना राज्य के पास सर्वोत्तम पद्धतियां हैं और सूचित किया कि 583 और आवासीय स्कूल शामिल किए जा रहे हैं जिससे विशेष रूप से लड़कियों के लिए आवासीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लड़कियों को 500 वस्तुएं वितरित की थी जिसमें सैनिटरी नैपकिन भी शामिल थे। उन्होनं स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बनाए रखने के लिए लड़कियों हेतु स्वास्थ्य और सफाई के लिए विशेष पहल करने के लिए

भारत सरकार से अनुरोध किया था। चूंकि राज्य ने विद्यार्थियों को उत्तम पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए उनके भोजन मेन्यू को बदल दिया है इसलिए इन्हें भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विशेषकर रूसा और आरएमएसए योजनाओं में राज्य निधियों के शेयर में कमी हुई है और इसलए आगामी बजट सत्र के पहले बजट में वृद्धि करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से सिफारिश की जानी चाहिए।

15. **श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार** ने अपने राज्य के भीतर शिक्षा क्षेत्र में विकास के विभिन्न पहलूओं के बारे में बताया और कहा कि शुरूआत में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बिल्कुल कम थी। उनकी सरकार द्वारा उठाई गई पहल के परिणामस्वरूप नामाकन अनुपात में वृद्धि हुई है और अब नामांकित तथा गैर-नामांकित छात्रों के बीच का अंतराल केवल 1% है। बिहार एक गरीब राज्य है और यहां संसाधन का बड़ा अभाव है। इन कमियों के बावजूद भी हमने छात्रों का नामांकन बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। संसाधनों की कमी के चलते हमें विशेष वित्त पोषण की आवश्यकता है और भारत सरकार से सहायता के बिना बेहतर विकास प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। राज्य कक्षा I से VIII तक नि:शुल्क पुस्तकें प्रदान कर रहा है। तथापि, निविदा प्रक्रिया में विलंब के चलते छात्रों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराना मुश्किल है। यदि केंद्रीय सरकार सहमत होती है तो राज्य छात्र के खाते में पैसे सीधे अंतरित करना चाहेगा जो पुस्तकों की समय पर उपलब्ध होने की समस्या को हल करेगा। छात्र स्वयं मार्केट से पुस्तकें खरीद सकेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना की आलोचना हो रही है और उन्होंने महसूस किया है कि मध्याह्न भोजन सहायता भी छात्र के खाते में सीधे पैसे अंतरित करके प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने बजट में वृद्धि करने और यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इसका अंतरण समय पर होना चाहिए।

16. **श्रीमती अरूणा चौधरी, माननीय शिक्षा मंत्री, पंजाब** ने कहा कि पंजाब में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने 1.60 लाख नए दाखिल किए हैं। प्री-स्कूल को भी कवर करने के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए उनका आदर्श - वाक्य है 'पढ़ो पंजाब - पढ़ा पंजाब'। राज्य उच्च स्तर शिक्षा के लिए मूल्यांकन और छात्रों को तैयार करने के तरीकों के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने शिक्षकों की शिकायतों के बारे में बताया और कहा कि इस संबंध में अनेक पहल की गई हैं, जैसे परिवीक्षा के सभी लंबित मामलों का निपटारा, डीडीओ सतर के अधिकारियों को अधिकार एवं अनुमति सौंपना; त्रैमासिक मूल्यांकन, शिक्षकों की वरिष्ठता के लिए यौक्तिकरण नीति; सीमांत(बोर्डर) क्षेत्रों के लिए पृथक कैडर तैयार किए गए हैं जहां अत्यधिक ग्रामीण या कठिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे शिक्षकों को विशिष्ट उपबंध के अंतर्गत माना जाएगा। इन सभी को अगले वित्त वर्ष से वित्त पोषित किया जाएगा। मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाना पकाने की लागत को संशोधित किया गया है और इसे 1000 रुपए से

बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निधियों की अप्राप्ति को भी ध्यान में लाया और अनुरोध किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में लंबित शेष राशि को यथा शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता है।

17. **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री एवं उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा मंत्री, दिल्ली** ने कहा कि छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के चलते अवसंरचना निर्माण एक बड़ी चुनौती है। उपलब्धियों की गणना करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के अनेक कक्षों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया है। तथापि, यह एक सतत कार्य है जो स्कूल की उपयुक्त अवसंरचना बनाने के लिए एक सतत जारी कार्य पद्धति है। उन्होंने उन विभिन्न डिजीटल पहल के बारे में भी सूचित किया जो शुरू की गई हैं। प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं ताकि अभिभावक अपने बच्चों को कक्षा में पढ़ाई करते हुए देख सकें। शिक्षकों को टैबलेट प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शीघ्र ही शिक्षण-कक्ष शिक्षण के लिए शिक्षकों के पास टैबलेट होंगे। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ। अन्य देशों से सफलता सीखने के लिए, परामर्शक शिक्षकों की सफलता को समझने और दिल्ली स्कूलों में उन्हें दोहराने के लिए शिक्षकों सिंगापुर और कैम्ब्रिज भेजा गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए "जीवन विद्या" शिविर का आयोजन किया गया था। शिक्षकों के प्रशिक्षण की सफलता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षक अनुरोध कर रहे हैं। उनकी सरकार ने पेरेंटिंग(पालन-पोषण) कार्यशाला की शुरूआत की है जो पीटीएम से भिन्न है। उन्होंने अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए अनेक उपाय सुझाए। इनमें परीक्षा प्रणाली के पैटर्न में बदलाव शामिल है क्योंकि यदि शिक्षकों पर पाठ्यक्रम पूरा करने का अधिभार होगा तो अधिगम परिणामों में सुधार दूर की बात होगी। इसलिए, अभी मौजूदा पाठ्यक्रम को कम करके आधा करने की आवश्यकता है। दूसरी, प्रश्नों को वैचारिक करते समय प्रायोगिक शिक्षा और रचनावादी प्रतिमान का आकलन करने के लिए प्रश्न तैयार करने के पैटर्न को संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके अतिरिक्त सूचित किया कि उनकी सरकार ने खेलकूद अकादमी खोली है जहां 50% छात्रों से शुल्क लिया जाएगा और 50% को नि:शुल्क पहुंच प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक शिक्षा ने केवल नौकरियां और नियोजनीयता पर ही फोकस किया है और आतंकवाद तथा ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न चुनौतियों को हल नहीं किया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक उपायों के माध्यम से ऐसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए पहल की है। उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों में आदान-प्रदान कार्यक्रम चाहिए ताकि हम एक-दूसरे के अनुभवों और कार्यों से कुछ सीख सकें।

18. **श्री आर. कमलकानन, माननीय शिक्षा मंत्री, पुडुचेरी** ने सिफारिश की कि नीति आयोग निधि संवितरण का काम करे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रोके न जाने की

नीति प्राथमिक कक्षाओं तक सीमित रखी जाए। उन्होंने कम्प्यूटरों की खरीद के लिए फिर वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने संस्तुति की कि मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार किया जाए ताकि सभी स्तरों के सभी छात्र इसके अंतर्गत आ जाएं। उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना में नाश्ता योजना भी शुरू किया है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षकों की पदोन्नति छात्रों के प्रदर्शन एवं परीक्षा परिणामों पर आधारित होनी चाहिए।

19. **श्री अरविंद पाण्डे, माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड** ने बताया कि उन्होंने सरकारी और निजी विद्यालयों में इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद पुस्तकों के वितरण की पहल शुरू की है। उन्होंने बुक बैंक की व्यवस्था की भी सिफारिश की है। उनका अभिमत है कि शिक्षकों की पदोन्नति को छात्रों के अधिगम परिणामों एवं प्रदर्शन से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने मध्याह्न भोजन में शाकाहरी आहार सूची पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने रसोईघर के निर्माण के लिए 70 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने एक शिक्षा पोर्टल बनाने की सूचना भी दी जिसमें अध्यापकों एवं छात्रों का डाटाबेस शामिल है और वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्शाई जाती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि रिहायशी विद्यालयों की व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। वे योगा शिक्षकों की पर्याप्त संख्या को पूरा करने पर भी फोकस कर रहे हैं। उन्होंने अतिरिक्त निधियन का अनुरोध किया है। उन्होंने अधिक छात्र विद्यालय व्यवहार्यता के लिए विशिष्ट भौगोलिक दूरी के भीतर स्थित विद्यालयों के समूहन के लिए विचार कर भी प्रस्ताव किया है।

20. **श्री बद्री नारायण पात्रा, माननीय शिक्षा मंत्री, ओडिशा** ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की कि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में पीएबी में अनुमोदित वित्तीय अनुदान अभी भी उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, उन्होंने अवसंरचना अनुदानों में वृद्धि का अनुरोध किया कि राज्य भी निजी विद्यालयों के बराबर अच्छी अवसंरचना प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि भारत सरकार को कार्य-निष्पादन आधारित मूल्यांकन शुरू करना चाहिए अन्यथा शिक्षा में गुणवत्ता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने पाठ्यचर्या में इस प्रकार फेर-बदल करने का सुझाव भी दिया कि धार्मिक सहिष्णुता देशभक्ति आदि जैसी भावनाओं को सही जगह मिले। उन्होंने इस अभिमत पर जोर दिया कि मेंटरिंग-टयुटरिंग, समय की जरूरत है जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

21. **श्री राम विलास शर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री, हरियाणा** में शिक्षा की वर्तमान स्थिति की सहारना की। शिक्षा विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है और राज्य सरकार ने 32,000 शिक्षक नियुक्त किए हैं। उन्होंने लैंगिक अनुपात के संबंध में कहा कि आज राज्य में प्रति 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां हैं। उन्होंने बहुत से कार्यकलाप शुरू किए हैं, उदाहरणार्थ, छात्रों की अधिक भागीदारी एवं तरूण बच्चों में तनाव से राहत के लिए ''जॉयफुल सैटर्डे'' कार्यक्रम। ''कन्या अभिनंदन'' के नाम से लड़कियों का जन्मदिन मनाया जाता है। उन्होंने

छात्रों के लिए "स्किल पासबुक" भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य छात्रों की बेहतर नियोजनीयता है। मंत्री महोदय ने कहा कि दायित्व का भाव लाने के लिए वह हर सप्ताह एक विद्यालय को अपना एक घंटा देते हैं और सरकारी अधिकारियों के लिए जमीनी वास्तविकता का पता लगाने के लिए उतना ही समय देना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने दु:ख व्यक्त किया कि अंकों/प्रतिशत की अत्यधिक दौड़/प्रतिस्पर्धा से बच्चों का समग्र विकास अवरूद्ध हो गया है। उन्होंने एक कौशल विश्वविद्यालय एवं एक खेल केन्द्र भी बनाया है। उन्होंने स्वीकार किया कि केवल सरकारी धन की बजाय सीएसआर से बहुत अधिक धन की व्यवस्था की गई है।

22. **सुश्री देबोराह सी 'मारक, माननीय शिक्षा मंत्री, मेघालय** ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्ता एवं समता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें से पहला मुद्दा एसएसए का निधियन पैटर्न का है और दुसरा मुद्दा मेघालय में सरकारी योजनाओं को जारी रखने का है। उनके अनुसार, कार्यनीतिक स्थिति की वजह है, मेघालय में निधियन प्रोसेसिंग का धीमा प्रवाह है जिससे राज्य में शिक्षकों का कार्यनिष्पादन बाधित हुआ है। माननीय मानव संसाधन मंत्री ने स्पष्ट किया कि केन्द्र द्वारा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित देने की कोई भी योजना बंद नहीं की गई है।

23. **श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश** ने कहा कि राज्य में नई सरकार बन गई है और नई सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके राज्य में एक मुद्दा संसाधनों के कम उपयोग का भी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का मामला काफी अलग है; जो राष्ट्रव्यापी परिदृश्य कम बाल आवादी के विपरीत हैं और यह अनुभव इस समस्या का समाधान करने के लिए विद्यालयों का समूहन अपेक्षित है। अनके अन्य सुझाव हैं, छात्र अंक तालिका अनिवार्य होनी चाहिए, स्मार्ट वर्दी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अध्यापक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित अंतराल पर किए जाने चाहिए। उन्होंने प्रबल अनुभव किया विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति की वजह से पर्वतीय क्षेत्र के साथ अलग विशेष बर्ताव किया जाना चाहिए।

24. **श्री राधेश्याम, माननीय शिक्षा मंत्री, मणिपुर** ने विद्यालयों के आमेलन, निजी संस्थाओं के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के लिए विद्यालय भवनों के उपयोग, स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया, शनिवार को समाज सेवा करना ताकि एकत्व का भाव पनपे, छात्रों के बीच टीम निर्माण एवं स्वच्छता, पाठ्येत्तर कार्यकलापों पर फोकस करने, विद्यालयों के डिजिटलीकृत मूल्यांकन, सेना द्वारा विद्यालयों को अपनाने, वेबसाईट शुरू करना जहां हर कोई सुझाव दे सके, के संदर्भ में अपने राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियां साझा कीं। इसके अलावा, उन्होंने एनसीईआरटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे पूर्वोत्तर की महिलाओं की उपलब्धियों एवं योगदान संबंधी पुस्तकें प्रकाशित करने का अनुरोध किया। उन्होंने विभिन्न छात्रवृत्तियों की विशेषताएं बताने के कोई तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया ताकि इनके लिए आवेदन करते समय छात्रों में संशय कम हो/दूर हो जाए। उन्होंने शिक्षक

की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षकों के लिए प्री-स्कूल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की जरूरत भी अनुभव की। उन्होंने मध्याह्न भोजन सूची में फल और बेकरी मदों को शामिल करने की अपील की है।

25. **श्री अल्ताफ बुखारी, माननीय शिक्षा मंत्री, जम्मू कश्मीर** ने प्रसन्तापूर्वक यह उल्लेख किया कि वे छात्र विद्यालय में वापस आ गए हैं जो इस क्षेत्र में झड़प से प्रभावित हुए थे। उन्होंने 28 विद्यालयों के जीआईएस मैपिंग आधार से जोड़ने का काम मार्च तक पूरा करना, मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन के लिए अक्ष्य पत्र आमंत्रित करने, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वितरित 1400 मोटर साईकिलों सहित सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों साझा कीं। तदुपरांत, उन्होंने कुछेक विद्यालयों की बाध्यताओं/कमजोरियां साझा की हैं; 90 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं, 70 प्रतिशत में प्रसाधनों, 80 प्रतिशत में विधुत, 80 प्रतिशत में दीवार की सीमाएं, 60 प्रतिशत में पुस्तकालय की सुविधाएं नहीं हैं।

26. **श्री विनोद तावड़े, माननीय शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र** ने सूचित किया कि राज्य ने एक प्रणाली अपनाई है जहां छात्र की अभिवृद्धि परीक्षा की जाती है। आकलन की विधि में परिवर्तन किया गया है अब उन छात्रों को पुन: परीक्षा देने की अनुमति है जो अनुतीर्ण हों। विगत वर्ष से छात्रों के रिपोर्ट कार्ड पर "अनुतीर्ण" नहीं लिखा जाता। सरकारी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के उपाय किए जा रहे हैं जैसे बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना और परिणामत: छात्रों को सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित किया जा रहा है, वस्तुत: राज्यों मे निजी से सरकारी विद्यालयों में विपरीत प्रवासन हो रहा है। इसके अलावा राज्य बोर्ड के तहत 100 अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खोलने का रिकार्ड है। डिजिटल विद्यालय खोले जा रहे हैं जिसके लिए अलग-अलग अंशदान के जरिए 350 करोड़ रूपए एकत्र किए गए है। शिक्षकों का शिक्षक प्रशिक्षण के भाग के रूप में मनोविज्ञान प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है।

27. **श्री तनवीर सैत, शिक्षा मंत्री, कर्नाटक** ने अपने राज्य में किए गए नवाचारी कार्यक्रम साझा किए और कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए गुरू चेतना पोर्टल की पहल की गई है जिसके जरिए अभी तक पचास हजार शिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में समान पैर्टन की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि नए विद्यालय स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है इसके बजाय मौजूदा विद्यालयों का उन्नयन किया जाए। देश में प्राथमिक विद्यालयों की संरचना एक समान होनी चाहिए। डाईट को अन्य प्रशासनिक दायित्वों से अलग रखा जाना चाहिए। राज्य में शुरू की गई नई योजना "विश्वास किरण" गरीब छात्रों के लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण है।

28. **डॉ. नीरा यादव, माननीय शिक्षा मंत्री, झारखंड** ने सूचित किया कि 18000 रिक्त पद भरे गए हैं, अनु.जाति और अनु.जनजाति की लड़कियों को 2000 छात्रवृत्तियां दी गई हैं और

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए "पहले पढ़ाई फिर विदाई" योजना शुरू की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 4562 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और विद्यालयों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए आकांक्षा कार्यक्रम और छात्र शैक्षिक दौरों के लिए मुख्यमंत्री शैक्षणिक ब्राह्मण योजना शुरू की गई है। राज्य में लड़कियों के लिए कस्तूरबा समागम, शिक्षकों के लिए शिक्षक समागम जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं और शिक्षा न्यायगण शुल्क विनियमन अधिनियम बनाया है।

29. **प्रो. रविन्द्रनाथ, माननीय शिक्षा मंत्री, केरल** ने साझा किया कि वे श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में आ गए हैं और सूचना का अधिकार 18 वर्ष तक शिक्षा के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने राज्यों और निजी व्यय एवं निजी भागीदारी को निधियां भी बढ़ाई गई थीं। 3500 करोड़ रूपए का विशेष पैकेज आवंटित किया गया है और विद्यालयों की अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन किया गया है। केरल में एक प्रमुख अभियान-कक्षाओं का डिजिटलीकरण और केरल के सभी विद्यालयों में जैव विविधता पार्कों का निर्माण है।

30. **श्री कुंवर विजय शाह, माननीय शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश** ने सुझाव दिया कि विद्यालय में उपस्थिति के दौरान यस सर/यस मैडम कहने की परिपाटी के स्थान पर जय हिन्द शब्द होना चाहिए और सभी विद्यालयों में ध्वज फहराना और राष्ट्रगीत अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में प्ले स्कूल शुरू किया जाना चाहिए और सीएसआर निधियों से कक्षा 1-8 तक के स्तर के लिए स्कूल के बैग प्रदान कर केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक निधियन हो, उन्हें अद्यतन रखने हेतु शिक्षकों का 5-7 दिन का प्रशिक्षण, स्कूल समय को अपराह्न में परिवर्तित किया जाना चाहिए-विशेष रूप से खेल समूह और नर्सरी छात्रों के लिए, वर्दी भत्ते को 600 रूपये तक बढ़ाया जाना चाहिए, 10 वीं कक्षा की डिग्री प्रदान करने की योजना को संपूर्ण देश में लागू किया जाए। उन्होंने निधि बढ़ाने का अनुरोध भी किया और सुझाव दिया कि नये स्कूल खोलने की अनुमति से पूर्व खेल के मैदान के प्रावधान की जांच की जानी चाहिए।

31. **श्री दिलीप रंजेकर, सीईओ, अजीम प्रेमजी प्रतिष्ठान** ने उल्लेख किया कि बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करने के लिए आरटीई का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की एक कार्य योजना होनी चाहिए। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि वर्तमान में स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या में ऐसा कुछ नहीं है जिससे छात्रों में संवैधानिक मूल्यों का विकास हो। छात्रों में संवैधानिक मूल्यों को विकास किस प्रकार होगा, इससे संबंधित एक स्पष्ट कार्यनीति बनाई जाए। रटन शिक्षण को बदलने और अधिगम परिणामों में सुधारों को प्रभावी करने के लिए परीक्षा सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों के सम्मान को सुस्पष्ट उपायों से पुन: स्थापित किया जाना चाहिए।

32. **स्वामी आत्मप्रियनंदा, कुलपति, राम किशन मिशन** ने उल्लेख किया कि 2015 से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो वर्ष तक बढ़ाया गया है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि इस बदलाव से जहां तक गुणवत्ता का संबंध है, अब तक कोई मूलभूत बदलाव नहीं आया है। जहां तक विशेष शिक्षकों का संबंध है बहुत कम रोजगार उपलब्ध हैं। दो अलग शीर्ष निकायों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) और भारतीय पुर्नवासन परिषद (आरसीआई) के विशेष शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मानदंडों के दो अलग-अलग सैट हैं जो कि विरोधाभाषी हैं और जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

33 **श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य, एनसीपीसीआर** ने उल्लेख किया कि संविधान मूल अधिकारों के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को खोले जाने की गारंटी देता है। तथापि मदरसों में अध्ययन करने वाले बच्चों को मूल अधिकार के अनुच्छेद-21 ए के तहत आरटीई का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आरटीई का लाभ मूल अधिकार के अनुच्छेद - 30 के तहत खोले गए ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बराबर माना जाना चाहिए।

34. **डा. सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास (उच्चतर शिक्षा)** ने सत्र का समापन करते हुए उल्लेख किया कि 65वीं कैब बैठक उनका पहला अनुभव था जहां उन्हें एक साथ सभी राज्यों के विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने महसूस किया कि राज्यों में किए गए प्रयोगों और संबंधित राज्यों द्वारा प्रदत्त सुझावों में उल्लेख किया गया है कि सभी की शिक्षा सुधार की इच्छा है और इस दिशा में वे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि "यदि आप किसी देश को नष्ट करना चाहते हैं तो उस देश में एटम बम गिराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उस देश की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दें और वह देश स्वयं नष्ट हो जाएगा।" अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाना चाहिए विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को, क्योंकि यह वह आधार है जिस पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था टिकी है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों को आवश्यक सम्मान नहीं दिया जाता शिक्षा में सुधार संभव नहीं हो सकता। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की ओर और परीक्षा हेतु प्रश्न तैयार करने पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जीवन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पुरजोर समर्थन किया कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। संपूर्ण देश के 100 श्रेष्ठ स्कूलों से श्रेष्ठ पद्धतियों का संकल्प तैयार किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न राज्य उनकी संबंधित अच्छी पद्धतियों और प्रभाव के बारे में जानें।

35. **श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री** ने सत्र का समापन बैठक में उन्होंने उठाए गए कुछ मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए किया। उन्होंने राज्यों से राष्ट्रीय शैक्षिक रिपोजिटरी, जो कि छात्र के प्रमाणपत्रों की डिजीटल रिपोजटरी है और सभी अंक-तालिकाएं डिजीटल स्टोरहाउस में हैं, को तैयार करने के लिए सरकार की हाल ही पहल

का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने सूचित किया कि एनएसडीएल/सीडीएसएल को यह कार्य सौंपा गया है और प्रथम दो वर्षों हेतु डिपोजटरी पर डाटा अपलोड करना नि:शुल्क है। हमारा उद्देश्य 'सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा' के नारे के साथ सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु समिति कार्यकाल को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाया गया है और हमें आशा है कि मसौदा 31 मार्च तक तैयार हो जाएगा। निधि जारी करने के मुद्दे के संबंध में उन्होंने कहा कि वे भी विश्वास करते है कि निधि का नियमित और समय पर जारी होना महत्वपूर्ण है किंतु कुछ गलतियां हो सकती हैं जिन्हें मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दूर किया जा सकता है। मुख्य मुद्दा संपूर्ण देश में स्कूलों में शिक्षकों का असमान वितरण और तैनाती है। प्राथमिक स्कूलों में यह आवश्यक है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को प्रोन्नत किया जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि बेहतर प्रयोगात्मक शिक्षा और सामाजिक कौशल के विकास के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम को कम किया जाए। उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षकों का उपयोग उनके नियमित कार्य के अतिरिक्त सभी कार्यों में किया जाता है। जिससे उनका शिक्षण प्रभावित होता है। उन्होंने परिचर्चा का सारांश बताते हुए उल्लेख किया कि कुछ निम्नलिखित संकल्पों को स्वीकार किया गया है:-

I. हमारा यह प्रयास होगा कि पांच वर्षों में सभी स्कूलों में 'आपरेशन डिजीटल बोर्ड' शुरू किया जाए। यह केन्द्र, राज्य, सीएसआर और समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। छात्रों को रूचिकर शिक्षा अनुभवों सहित संपूर्ण सूचना (360 डिग्री सूचना) प्रदान की जाएगी और शिक्षकों के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होगी।

II. हम अत्यधिक सक्रियता और योजना द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, पहुंच, उत्तरदायित्व और किफायत सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं।

III. हम स्वच्छ भारत , एक भारत श्रेष्ठ भारत, पढ़े भारत, सुगम्य भारत और शारीरिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए वचनबद्ध हैं।

IV. हम शिक्षा प्रणाली से अच्छे मानव तैयार करने के लिए मानव मूल्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

36. **श्रीमती रीना रे, विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता मानव विकास संसाधन मंत्रालय** ने अध्यक्ष और सभी शिक्षा मंत्रियों, कैब के नामित सदस्यों और अन्य माननीय आमंत्रित अतिथियों और मंत्रालय के अधिकारियों का उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद किया।

<u>दिन-2 उच्चतर शिक्षा</u>

37. **डा. एन सरवणा कुमार, संयुक्त सचिव (पी एंड आईसीसी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय** ने बैठक में आमंत्रित माननीय केन्द्रीय मंत्रियों, शिक्षा राज्य मंत्रियों और अन्य आमंत्रितों का स्वागत किया और दूसरे दिन की कार्रवाई प्रारंभ की।

38. **श्री केवल कुमार शर्मा, सचिव, उच्चतर शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)** ने डायस पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों और अन्य आमंत्रितों तथा प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उच्चतर शिक्षा में की गई विभिन्न नई पहलों की मुख्य-मुख्य बातों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आईआईएम को स्वायत्ता दी गई है और ऐसी स्वायत्ता आने वाले समय में उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने एनआईआरएफ और स्वयम पोर्टल के संबंध में उल्लेख किया जिसके माध्यम से कक्षा 9 से पीजी स्तर तक के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते उन्होंने आईआईआईटी विधेयक का भी संदर्भ दिया जिसे पारित किया गया है। उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी शिक्षा चैनल भी शुरू किए गए हैं और जिनकी विषयवस्तु यू-ट्यूब पर अपलोड की जा रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजटरी (एनएडी) का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि पिछले 1.5 वर्ष के सभी प्रमाणपत्रों को एनएडी पर डाला जाए। एचईएफए का कार्यान्वयन केनरा बैंक की भागीदारी में किया गया है। उन्होंने सभा को सूचित किया कि उच्चतर शिक्षा में जीईआर 24.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत (एआईएसएफई, 2016) बढ़ी है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य मुख्य सुधारों में आईआईटी में अनुसंधान पार्क की स्थापना करना शामिल है। उन्होंने 'उच्चतर आविष्कार अभियान' और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है, के संबंध में भी उल्लेख किया। उन्होंने यूजीसी की प्रशंसा की, जिसने पिछले वर्ष बड़े सुधार किये थे। अंत में उन्होंने शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन(पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना के संबंध में बताया और राज्यों से योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया।

39. **डॉ. सत्य पाल सिंह माननीय मानव संसाधन विकास (उच्चतर शिक्षा) राज्यमंत्री,** ने बताया कि यदि हम जीईआर को 18 से 23 वर्ष की आयु में आंकलित करते हैं तब हमारी उच्चतर शिक्षा विश्व औसत 29 के समीप होगी। हमें जीईआर को 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ-कुछ मुद्दे उठाए जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले संस्थान की अवस्थिति महत्वपूर्ण है। हम क्षेत्रीय असंतुलन, समता, समानता आदि के संबंध में चर्चा करते हैं किंतु चुनौती यह है कि हम इन्हें किस प्रकार प्राप्त करें। उन्होंने स्थानीय संदर्भ में शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। भवनों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, भवनों को वास्तु के अनुरूप होना भी महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में गुणवत्ता का है। उन्होंने बल दिया कि हम अपने पाठ्यक्रम पर विचार करना चाहिए। इसे स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा,पर्यावरण, समुदाय आदि जैसे मुद्दों के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर उन्होंने बल दिया कि वह स्कूल शिक्षा के समान उच्चतर शिक्षा में भी शिक्षा निष्कर्षों (एलओ) हेतु बैंचमार्क के सृजन का था। यह वैश्विक संदर्भ में छात्र मोबिलिटी बढ़ाने में भी सहायक होगा। चौथा मुद्दा देश में उच्चतर शिक्षा के स्थानीयकरण के महत्व का है। जबकि यह महत्वपूर्ण है कि किसी को भी भूतकाल में बने रहना नहीं चाहिए, हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे

मंत्र हैं जिनमें 'लॉ ऑफ मोशन' को न्यूटन द्वारा खोजे जाने से पहले स्पष्ट किया गया है। अत: यह आवश्यक है कि हमारे पाठ्यक्रमों में परंपरागत ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। हमारे शिक्षकों को विश्वस्तरीय होना चाहिए। अंत में उन्होंने पांचवे मुद्दे का उल्लेख किया कि क्योंकि शिक्षा का वित्तपोषण बहुत अधिक सब्सिडाइज है, हमें अलग-अलग फीस के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। वे छात्र जो अधिक दे सकते हैं वे अधिक दें और जो अधिक नहीं दे सकते उन्हें कम ट्यूशन फीस देने की अनुमति दी जाए।

40. **डॉ. महेश शर्मा, संस्कृति मंत्रालय और पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)** ने कहा कि मूल्य और संस्कृति आधारित शिक्षा समय की मांग है। वर्तमान में हमारा एक युवा देश है किंतु अगले 30 वर्षों में वह ऐसा ही नहीं रहेगा। हम दुनिया के सबसे जीवंत और विविध समाज में से एक हैं जहां कुछेक किलोमीटर की दूरी पर परंपरा, संस्कृति और यहां तक की वेशभूषा बदलती है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तथापि, हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि क्या हमने अपनी परंपरा की खोज की है? हम अपनी उपलब्धियों पर गौरान्वित है लेकिन हमारे अतीत ने हमें और अधिक से कभी नहीं रोका। उन्होंने पूछा, क्या हम मूल्य आधारित शिक्षा को शामिल करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं? उन्होंने इस पर बल दिया कि एनसीईआरटी को संस्कृति आधारित शिक्षा की दिशा में पाठ्यक्रम फिर से तैयार करना चाहिए। उन्होंने देश में बेरोजगारी की समस्य के बारे में बताया और कहा कि प्रशिक्षित लोगों की प्रत्येक विषय में कमी है। उन्होंने हमारे युवाओं में सांस्कृतिक गर्व जगाने के लिए शिक्षा और संस्कृति का एकीकरण करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ तालमेल बैठाएं। उन्होंने सदन, दोनों मंत्रियों और अधिकारियों से युवाओं को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने और सांस्कृतिक गर्व जगाने की शपथ लेने का आग्रह किया। यह जनसांख्यकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है।

41. **श्री प्रकाश जावेडकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री** ने अपने संबोधन में शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जिससे कि शिक्षा और रोजगार तथा सामाजिक प्रासंगिकता के बीच मौजूदा विसंगितियों को दूर किया जा सके। इसके लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई कार्यसूची में निष्पादन, सुधार और परिवर्तन शामिल हैं। इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं गुणवत्ता, स्वायत्तता, शोध और नवाचार। कार्यविधि और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए विनियमामक निकायों में सुधार किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं की ग्रेडेड स्वायत्तता को निर्धारित मापदंड के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। आईआईएम को पूर्ण स्वायत्ता प्रदत्त की गई है और इसे आईआईटी के साथ-साथ कॉलेजों के लिए भी किया जाएगा। मंत्र है कि "हम निधियन करें? और भूल जाएं"। उन्होंने मुख्यतः व्यापक अनुसंधान स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और एक शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 20 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठित संस्थानों की

स्थापना के बारे में बताया। उन्होंने हमारे उच्च शिक्षा संस्थाओं में नवाचार को बढ़ावा देने की कमी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे हैकाथॉन जैसी पहलों के माध्यम से बदला जा रहा है। पाठ्यचर्या सुधार, स्वयम के माध्यम से कभी भी, कहीं भी अधिगम, शिक्षक प्रशिक्षण सभी का लक्ष्य गुणवत्ता में सुधार लाना है।

42. **सुखबीर सिंह संधु, अपर सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भाषा), एमएचआरडी)** ने "उच्चतर शिक्षा की स्थिति" शीर्षक पर एक प्रस्तुत दी। इस प्रस्तुति ने जीईआर की वर्तमान स्थिति, संस्थाओं के विकास, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्य और कार्यनीति तथा नई पहलों पर एक संक्षिप्त विवरण दिया।

43. **प्रोफेसर अनिल डी. सहस्त्रबुद्धि, अध्यक्ष, एआईसीटीई ने** "स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कुशलता और तकनीकी शिक्षा में सुधार और इसे बढ़ाने के उपाय" शीर्षक की एक प्रस्तुति दी जिसने हमारे युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डाला है और वर्ष 2022 तक 1 करोड़ छात्रों को नियोजनीय कौशलों में प्रशिक्षित करने के विजन को पूरा करने की कार्य योजना को रेखांकित किया।

44. **सुश्री ईशिता रॉय, संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा), एमएचआरडी** ने "उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार" शीर्षक पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में अवसंरचना सुदृढ़ करने, प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने, यूजीसी सुधार, पाठ्यचर्या सुधार, मूल्यांकन और प्रत्यायन, रूसा, डिजिटल पहलों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उपाय शामिल थे। इन सभी का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा में पारदर्शिता लाना और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है।

45. **श्री अलताफ बुखारी, माननीय शिक्षा मंत्री, जम्मू एवं कश्मीर** ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में पहला क्लस्टर विश्वविद्यालय और 5 उत्कृष्ट कॉलेज स्थापित किए हैं। इनके अलावा, रूसा योजना के तहत 2 वास्तुकला कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जम्मू अब पूरी तरह से कार्यात्मक हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन के तहत शिक्षा विद्यालय स्थापित किए गए हैं। तथापि, कश्मीर में प्रशिक्षित स्नातकों की बड़ी संख्या अभी भी बेरोजगार हैं, जोकि सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीर में एक गणितीय संस्था शुरू की गई है और जम्मू क्षेत्र के लिए एक और की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के लिए 2 मेडिकल कॉलेज और विशेषकर लद्धाख के लिए एक शोध विश्वविद्यालय की भी मांग की।

46. **डॉ. दिनेश शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश** ने यह सुझाया कि बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के सत्र पर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए जोकि आगे चलकर उच्चतर शिक्षा का विकास करेगा। उन्होंने बताया कि वे निजी संस्थाओं से संबंधित नियम और शर्तों में कुछ बदलाव कर रहे हैं और स्व-स्थानान्तरण नीति में 10 विकल्प शामिल किए हैं। उन्होंने बताया कि वे निःशुल्क वाई-फाई सुविधा प्रदान कर रहे हैं, 15 नए शोध विश्वविद्यालय खोले गए हैं, ऑनलाइन परिणाम की सुविधा है और कौशल विकास योजना के तहत 3 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है और राज्य एचआरडी मंत्रालय की योजनाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

47. **श्री कदियम श्रीहरि, माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, तेलंगाना** ने बताया कि उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं के लिए 53 नए आवासीय डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं और राज्य योजनागत निधि से शिक्षा के लिए 400 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं। विश्वविद्यालय में मौजूदा रिक्तियों को भरा जा रहा है जिन्हें इस शैक्षिक वर्ष तक भर लिया जाएगा और पांच विश्वविद्यालयों को प्रत्यायित किया गया है तथा ओसमानिया विश्वविद्यालय को ए+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। राज्य ने छात्रों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश, शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना जैसे कई कदम उठाए हैं, जिन सभी का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। 1200 कॉलेजों को शुरू किया गया है और नामांकन को आधार डेटा के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 2.5 लाख छात्रों को सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला दिया गया है और एक छात्र केन्द्रित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कौशल विकास के संबंध में, राज्य ने टी हब, राष्ट्रीय निर्माण अकादमी और 57 पॉलीटेक्निक (जिनमें से 16 सामुदायिक पॉलिटेक्निक हैं) शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि नए व्यवसाय और बाजार आवश्यकताओं को पहचानने और विशेषकर आईटीआई में चिन्हित मांगों के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने अनुसंधान में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र चिन्हित किए हैं और इनक्यूबेटर शुरू किए हैं। उन्होंने सुझाया कि यूजीसी को विश्वविद्यालयों के लिए एकसमान दिशानिर्देश और सख्त नीति तैयार करनी चाहिए।

48. **श्री मनीष सिसौदिया, माननीय उप-मुख्यमंत्री और उच्चतर शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा मंत्री, दिल्ली** ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उच्चतर शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ी कमी वर्ष 1923 की औपनिवेशिक अवधि के कानूनों में से एक कानून है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली में अन्य कोई संबंधन विश्वविद्यालय नहीं होगा। जब तक यह कानून संशोधित नहीं कर दिया जाता, दिल्ली में उच्चतर शिक्षा की वृद्धि सीमित रहेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि खेल विश्वविद्यालय सहित दो चार विश्वविद्यालय विचारार्थ हैं तथा अधिक विश्वविद्यालय बनाने के लिए औपनिवेशिक कानून को बदलने की आवश्यकता है।

प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष औसतन 250 लाख छात्र दिल्ली में उत्तीर्ण होते हैं, हालांकि मौजूदा विश्वविद्यालय केवल 120 लाख छात्रों की जरूरतों को ही पूरा करते हैं। अतः, नए विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी सरकार ने एक विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र खोला है जिससे सभी छात्रों ने अच्छे पारिश्रमिक और साथ ही बेहतर सुविधाओं वाले रोजगार प्राप्त किए हैं। कौशल आधारित शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि चुनौती मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या से संबंधित है जहां कौशल की तरफ जाने का अर्थ शिक्षा से अलग होना समझा जाता है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। कौशल से संबंधित अन्य चुनौती गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, ऋण, प्रत्यायन, प्रशिक्षण गुणवत्ता तथा इत्यादि से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भी व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में कार्य कर रही है। तथापि, शिक्षा के व्यावसायीकरण में मात्रात्मक विस्तार की प्रक्रिया में गुणवत्ता का क्षय हो रहा है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार प्रशिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और उसे बढ़ाया जाए तथा किस प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, कुशल व्यक्तियों की प्रशिक्षुता और नियोजनीयता के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम करने की भी आवश्यकता है।

49. **श्री आर.बी. सुब्बा, माननीय शिक्षा मंत्री, सिक्किम** ने राज्य की अच्छी पद्धतियों जैसे मुख्यमंत्री मैरिट छात्रवृत्ति, अम्बेडकर अवार्ड के बारे में बताया जिसके तहत वे प्रत्येक वर्ष 50 छात्रों का चयन करते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भेजते हैं, अब तक 800 छात्रों का चयन किया गया है साथ ही उन्होंने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों में योग शिक्षा, ग्रीन एजुकेशन, राज्य पुरस्कार और विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में प्रवेश हासिल करने वाले छात्रों को प्रायोजित करने के बारे में भी बताया। राज्य सरकार ने 31 स्कूलों में जैविक कृषि कार्यकलाप आरंभ किए हैं और स्कूल पाठ्यक्रम में जैविक कृषि पर आधारित अध्यायों को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की कुछ अन्य पहलों जैसे शिक्षक अभिभावक कार्यक्रम जिसमें एक शिक्षक 10 छात्रों को मेंटर करेगा, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए स्थानान्तरण नीति और सीएसआर के अंतर्गत शुरू किए गए सेनिटरी नेपकिन के वितरण के बारे में भी बताया। सभी स्कूलों की जीआईएस मैपिंग की गई है और वे 2018 में 100 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर लेंगे। उच्चतर शिक्षा में राज्य में, केवल एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, 12 कॉलेज हैं और रूसा के तहत केवल एक वित्तपोषित व्यावसायिक कॉलेज, बौद्ध अध्ययन और संस्कृत कॉलेज हैं। उन्होंने राज्य में व्यावसायिक शिक्षा स्थापित करने के लिए रूसा को धन्यवाद दिया और कहा कि नियमित संकाय उनके लिए, एक बड़ी चुनौती है।

50. **श्री वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव, आर्थिक सलाहकार (उच्चतर शिक्षा), एमएचआरडी** ने "एक भारत; श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ महाविद्यालय और उन्नत भारत" शीर्षक एक प्रस्तुति दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य विविध भारतीय संस्कृतियों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा

देना है, और सुसंगठित भागीदारी के लिए 1 वर्ष के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मेल से विविध सांस्कृतिक आयोजन तथा संस्कृति, साहित्य, खेल, पर्यटन आदि के क्षेत्र में भागीदारी के माध्यम से एकता को सुदृढ़ करना। उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य, गोद लिए गए गांवों, स्थानीय निकायों और प्रशासन के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थाओंके संकाय, विद्यार्थियों की सालभर की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण समावेशन प्राप्त करना है। स्वच्छ महाविद्यालय की उपलब्धियां भी प्रस्तुत की गई।

51. **श्री जय भान पवैया, माननीय शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश** ने बताया कि संस्थागत की दिशा में मध्य प्रदेश ने स्वयं को अत्यधिक विकसित किया है। पिछले डेढ़ वर्ष में, 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ एक सरकारी और 9 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ऑनलाइन प्रवेश और नकद-रहित शुल्क लेने देन सुनिश्चित किया गया है। लोक सेवा ने 10 नई सेवाएं शुरू की हैं। डॉ हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय से केन्द्रीय विश्वविद्यालय में स्तरोन्नत किया गया है। तथापि, उच्चतर शिक्षा से संबंधित विनियमों में संशोधन की आवश्यकता है। रूसा के तहत, उनको 25 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। तथापि कौशल विकास के लिए उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक प्रभाग में आवासीय कालेज खोलने की भी योजना बनाई है। राज्य की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि राज्य को उन्हें ब्यौरा भेजना चाहिए और उन्होंने मामले को देखने का आश्वासान दिया।

52. **श्री अनंता दास, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ओडिशा** ने कहा है कि पूरे राज्य में केवल एक विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा के समग्र विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। अब उन्होंने 12 नए और 4 निजी विश्वविद्यालय खोलें हैं। मंत्री ने अपील की है कि रूसा की निधि को ओडिशा के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वितरित किया जाएगा। इसके लिए दक्षिण ओडिशा में 8 मॉडल कालेज स्थापित किए गए हैं यह क्षेत्र नक्सलियों से बुरी तरह प्रभावित रहा है। इन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार 5 मेडिकल कालेजों का भी निर्माण कर रही है, जिसमें से 2 पहले ही कार्यात्मक हैं। समग्र रूप से, 1625 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए, इष्टम निधियन की आवश्यकता है और वे रूसा से निधियन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने केन्द्र से उच्चतर शिक्षा परिषद में एक सदस्य देने का अनुरोध भी किया गया।

53. **श्री बासवाराज, माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री, कर्नाटक** ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य की जीईआर में 26.5 प्रतिशत से 27.8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और यदि प्रत्याशित वृद्धि 2.5 प्रतिशत हुई तो, अगले पांच वर्षों में यह 40 प्रतिशत तक हो जाएगी। उन्होंने उच्चतर शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया जिसमें अवर स्नातक कार्यक्रमों के साथ-साथ 16 आवासीय कॉलेजों की स्थापना भी शामिल है जिन्हें 100 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। 1025 डिग्री कॉलेज सहित

अकेले बेंगलुरू शहर में ही देश के अधिकतम कॉलेज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुल विदेशी छात्रों का 35 प्रतिशत बेंगलुरू शहर में है। उन्होंने 1000 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स (एलएसई) के सहयोग से एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय भी प्रारंभ किया है। उन्होंने नए संस्थाओं की संख्या का भी उल्लेख किया जैसे 28 पॉलिटेक्निक, 40 इंजीनियरिंग कॉलेज आदि एक उच्चतर शिक्षा अकादमी जो प्रोफेसरों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित की गई है। साथ ही वे नि:शुल्क ब्रांडेड लैपटॉप भी वितरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य की पहलों में सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य और केंद्र के मध्य 60:40 के निधि वितरण के आधार पर रूसा-2 के तहत प्रत्येक जिले में आवासीय कॉलेज खोले जा सकते हैं। अधिक केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि चूंकि आईआईटी में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिए आईआईटी में राज्य के मंत्री को कार्यभार दिया जा सकता है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसे उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन माना और इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

54. **श्री कृष्णा नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार** ने कहा कि राज्य में जीईआर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में युवा क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे विश्वविद्यालयों और उच्चतर अध्ययन केंद्रों की संख्या का भी उल्लेख किया। राज्य में शिक्षा की मुख्य धारा में निजी संस्थाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने अधिक अनुदान के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त किया।

55. **प्रो. रविन्द्रनाथ, माननीय शिक्षा मंत्री, केरल** ने कहा कि राज्य में शिक्षा के लिए शैक्षिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त किया जाना चाहिए। संस्थाओं को स्वायत्तता दिए जाने पर उन्होंने कहा "हम संपूर्ण स्वायत्तता के पक्ष में नहीं है" क्योंकि यह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित कर सकता है। उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्रों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अंत-विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

56. **श्री होनचुन नागंदम, माननीय शिक्षा मंत्री, अरूणाचल प्रदेश** ने कहा कि उन्होंने राज्य में महिला-पुरूष समानता प्राप्त कर ली है और बालिका नामांकन में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने अनेक पहलें की हैं जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्मार्ट कक्षा-कक्ष सुविधाएं और वाई-फाई परिसर और प्रत्येक वर्ष कॉलेजों के लिए शिक्षण अध्ययन उपकरण उपलब्ध कराना। उन्होंने केंद्रीय संस्थाओं में राज्य के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की और राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कुलपति के रिक्त पद को भरने का अनुरोध किया। उन्होंने मंत्रालय के राष्ट्रीय शैक्षिक डिपाजिटरी पहल की

सराहना की और स्वीकार किया कि यह जाली डिग्री को रोकने में सहायक होगा और सुझाव दिया कि राज्यों के मध्य शैक्षिक कार्यकलापों को साझा करने और उनके आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए।

57. **डॉ. नीरा यादव, माननीय शिक्षा मंत्री, झारखंड** ने सूचित किया कि राज्य में सकल नामांकन अनुपात 13.1 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक बढ़ गया है और राज्य द्वारा 23 उच्चतर शैक्षिक संस्थान निधिबद्ध किए जा रहे हैं। राज्य ने अनेक पहलें की हैं जैसे झारखंड कौशल विकास योजना, डिजिटल पुस्तकालय सुविधाएं, संस्थाओं में नवाचार केंद्र प्रारंभ करना और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न रोजगार अवसर प्रदान करना। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की थी और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा।

58. **श्री विनोद तावड़े, माननीय शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र** ने कहा कि उच्चतर शिक्षा में राज्य का सकल नामांकन अनुपात 22 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने शिक्षा के व्यावसायीकरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 विश्वविद्यालय और 3 विधि विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बिना प्रत्यायन के कोई भी कोर्स और अध्ययन बोर्ड आयोजित न किया जाए। शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों में तालमेल विकसित करने के लिए उद्योगपतियों को अध्ययन बोर्ड में शामिल किया गया है। तथापि, उन्होंने कहा कि बेहतर/गुणवत्तायुक्त कॉलेजों की सूची में जूनियर कॉलेज को सूची में शामिल करने की अनुमति का प्रावधान होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री ने इस परिवर्तन का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए विश्वविद्यालय खोले जाने की भी इच्छा व्यक्त की।

59. **श्री के.पी. अनबालागन, माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु** ने मंत्रालय द्वारा की जा रही सभी पहलों के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि उन्होंने पहली पीढ़ी के सभी प्रशिक्षुओं के लिए शुल्क माफ कर दिया है।

60. **श्री राधेश्याम, माननीय शिक्षा मंत्री, मणिपुर** ने राज्य में शिक्षा के अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि राज्य उग्रवाद से बुरी तरह से प्रभावित है। अवसंरचना की स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दो राज्यों के बीच भागीदारी को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र के माननीय मंत्री श्री विनोद तावड़े को धन्यवाद दिया।

61. **श्री धान सिंह रावत, माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड** ने शिक्षा सम्मेलन 'ज्ञान कुंभ' के लिए सभी प्रतिनिधियों और सदस्यों को हरिद्वार में आमंत्रित करने के साथ अपनी

प्रस्तुति प्रारंभ की। उन्होंने छात्र संघ पर रोक, प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित करने, एनएएसी के प्रत्यायन शुल्क को कम करने जैसे मामले उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि नि:शुल्क लैपटॉप वितरित करना लंबे समय तक विद्यार्थियों के लिए सहायक नहीं होगा। यह शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में केंद्रीय विद्यालय स्थापित और एक आर्मी स्कूल स्थापित करने का अनुरोध भी किया।

62. **श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश** ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में संसाधनों की कमी है। उन्होंने उल्लेख किया कि पहला परमवीर चक्र राज्य को दिया गया था और करगिल युद्ध में राज्य ने 4 पुरस्कार प्राप्त किए।

63. **श्री आर.कमलकानन, माननीय शिक्षा मंत्री, पुद्दुचेरी** ने शिक्षा आंकड़ों का ब्यौरा दिया और कहा कि पुद्दुचेरी ने 1.06 महिला-पुरूष समानता इंडेक्स और 1:10 शिक्षक-शिष्य अनुपात प्राप्त किया है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 23 है। उन्होंने सुझाव दिया कि शैक्षिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए और कॉलेजों में सभी कार्यकलापों की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति उनके कार्य निष्पादन के आधार पर की जानी चाहिए।

64. **श्री मनीष सब्बरवाल, सीईओ, टीम लीज, नामित सदस्य कैब** ने कौशल शिक्षा की आवश्यकताओं और भविष्य के रोजगार की चुनौतियों और इन दोनों के संयोजन के सरोकार को उठाया।

65. **श्री अंजलि देशपांडे, नामित सदस्य कैब** ने कहा कि कृषि और पशु कॉलेजों की संख्या बहुत कम है और महिला अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पशु और जीव विज्ञान में महिलाओं के लिए कुछ अल्पावधि पाठ्यक्रम होने चाहिए।

66. **प्रो. चन्द्रकला पेडिया, आईआईएएस, शिमला** ने उल्लेख किया कि शिक्षा के पांच स्तंभों के अतिरिक्त शिक्षा का छठा स्तंभ मॉनीटरिंग तंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित और कड़े मॉनीटरिंग तंत्र के बिना किसी भी प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। शिक्षकों की जवाबदेही तय करना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाठ्यचर्या में पर्यावरण पर एक अनिवार्य प्रश्नपत्र प्रारंभ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक उच्च प्राधिकरण होना चाहिए। अन्य सदस्यों ने इन दिनों प्रकाशित किए जा रहे शोध की गुणवत्ता जैसे अनेक मामले उठाए और उन्होंने कहा कि शोध समाजिक रूप से प्रासंगिक होने चाहिए।

67. **डॉ. फुरकन कमर, एआईयू** ने सलाह दी कि जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किए जाने के लक्ष्य को हासिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लघु संस्थाओं को सहायता दी जानी चाहिए।

68. **डॉ. पंकज चंडे** ने बताया कि इस शोध की प्रासंगिकता बहुत जरूरी है।

69. **श्री लतीफ मगदम, नामांकित सदस्य, कैब** ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तरह 'एपीजी अब्दुल कलाम मुक्त विश्वविद्यालय' खोलने की सलाह दी।

70. **डॉ. सुधीर जैन, आईआईटी गांधीनगर** ने सलाह दी कि विश्वविद्यालय को एल्यूमनी छात्रों से वित्तीय सहायता मांगनी चाहिए और संबंधी संस्थान को अनुदान प्रदान करते समय एल्यूमनी छात्रों के अनुदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

71. **स्वामी आत्मप्रियानंद, कुलपति, राम कृष्ण मिशन, नामांकित सदस्य, कैब** ने सलाह दी कि कॉलेजों को चाहिए कि वह स्कूल को मार्गदर्शन करें एवं खेल विज्ञान भी शामिल किया जाना चाहिए।

72. **श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री** अपनी समापन टिप्पणी में यह आश्वासन दिया कि राज्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नोट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को एक संभावित योजना तैयार करने की आवश्यकता है और मंत्रालय द्वारा इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार की अपेक्षित सहायता राज्यों को प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित संकल्प लिए गए थे:

i. कैब नए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को खोलकर, अधिक लाभदायक ढंग से अवसंरचना का उपयोग करके एवं ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करके जीईआर में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास करेगा।
ii. कैब क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करेगा और संभावित योजना तैयार करेगा।
iii. कैब यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है कि साधनों की कमी की वजह से किसी भी योग्य छात्र को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।
iv. कैब गुणवत्ता सुधारने, गुणवत्तायुकत संस्थानों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने, अभिशासन सुधारने के लिए डिजिटल पहलें शुरू करने, गुणवत्ता और विकल्प वृद्धि पर अधिक बल देने वाली पहलों की सराहना करता है।

v. कैब सभी हितधारकों में जवाबदेही लाने के लिए प्रयासरत रहेगा।

vi. कैब ने नवाचार कार्यक्रमों जैसे उन्नत भारत, स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्मार्ट और ग्रीन कैंपस में पूरे मनोयोग से भागीदारी करने का निर्णय लिया है।

vii. कैब समानता, पहुंच, गुणवत्ता, जवाबदेही और सामर्थ्यता सुनिश्चित करने के लिए पुन: समर्पित है।

73. **डॉ. एन. सरवणा कुमार, संयुक्त सचिव, (पीएंडआईसीसी), एमएचआरडी** ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को कैब की दो दिवसीय बैठक आयोजित करने और अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने सभी माननीय केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, सचिव, उच्चतर शिक्षा, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, अधिकारियों और नामांकित सदस्यों को कैब की दो दिवसीय बैठक में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दिया।

******

अनुबंध-I

15 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 65वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

1. श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री -अध्यक्ष
2. श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री
3. श्री थवर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री
4. श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
5. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम एवं खेल
6. डा. महेश शर्मा, संस्कृति राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय
7. डा. सत्य पाल सिंह, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (उच्चतर शिक्षा)
8. श्री अनिल स्वरूप, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
9. श्री के.के. शर्मा, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
10. श्री होनचुन नगनदम, शिक्षा मंत्री, अरूणाचल प्रदेश सरकार
11. डा. हिमांता बिश्वा शर्मा, शिक्षा मंत्री(उच्चतर, माध्यमिक एवं प्रारंभिक), असम सरकार
12. श्री कृष नंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार
13. श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्य मंत्री और मंत्री (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
14. श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, हरियाणा सरकार
15. श्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री (शिक्षा), हिमांचल प्रदेश सरकार
16. श्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, माननीय शिक्षा मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार
17. श्रीमती नीरा यादव, मानव संसाधन विकास मंत्री, झारखंड सरकार
18. श्री तनवीन शेत, राज्य मंत्री, (प्राथमिक एवं स्कूल शिक्षा), कर्नाटक सरकार
19. प्रो. सी. रवीन्द्र नाथ, शिक्षा मंत्री, केरल सरकार
20. श्री कुवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
21. श्री विनोद तावड़े, स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार
22. श्री टी. राधेश्याम, शिक्षा मंत्री, मणिपुर सरकार
23. सुश्री डेबोरा मारक, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री, मेंघालय सरकार
24. श्री बद्री नारायण, पत्र एस एण्ड एमई मंत्री, उच्च शिक्षा, उड़ीसा सरकार
25. श्री आर. कमलकन्नन, शिक्षा मंत्री, पुद्देचेरी सरकार
26. श्रीमती अरूणा चौधरी, उच्च एवं स्कूल शिक्षा मंत्री, पंजाब सरकार
27. श्री आरबी सुब्बा, मानव संसाधन विकास मंत्री, सिक्किम सरकार
28. श्री कदियम श्रीहरि, उप मुख्य मंत्री एवं मंत्री (शिक्षा), तेलंगाना सरकार
29. सुश्री अनुपमा जायसवाल, प्राथमिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

30. श्री अरविंद पाण्डे, स्कूल शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार
31. श्री शुभंकर घोष, निदेशक एवं एसपीडी (शिक्षा), सचिव सह-निदेशक (शिक्षा) अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय
32. श्री जी, श्री निवास, आईएस एसपीडी एवं संचार प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा)
33. आंध्र प्रदेश सरकार
34. सचिव (शिक्षा), शिक्षा विभाग, अरूणांचल प्रदेश सरकार
35. प्रधान सचिव, बिहार सरकार
36. एसपीडी, एसएसए (स्कूल शिक्षा विभाग) छत्तीसगढ़ सरकार
37. बीएल शर्मा, शिक्षा सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन
38. निदेशक (शिक्षा), दादरा एवं नागर हवेली
39. निदेशक (शिक्षा), दमन एवं द्वीप
40. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
41. निदेशक (एससीईआरडी एवं एसपीडी एसएसए), गोवा सरकार
42. एसएसडी, एसएसए गुजरात सरकार
43. वीरेंद्र चौधरी, संयुक्त निदेशक एवं अपर मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा), हरियाणा सरकार
44. डॉ. अरूण कुमार शर्मा, अपर मुख्य सचिव (शिक्षा), हिमांचल प्रदेश सरकार
45. श्री फारूख शाह, सचिव (शिक्षा), जम्मू एवं कश्मीर सरकार
46. श्री ए.पी. सिंह, प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा), झारखंड सरकार
47. डॉ. रेजू एम.टी. एसपीडी, एसएसए प्रधान सचिव (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा), कर्नाटक सरकार
48. श्री ए. शहाजहां, सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार
49. सुश्री दीप्ती गोल मुखर्जी, प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा), मध्य प्रदेश सरकार
50. श्री नंद कुमार, प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा विभाग), महाराष्ट्र सरकार
51. श्री विनित जोशी, सचिव (स्कूल शिक्षा), मणिपुर सरकार
52. श्री ए. चो. मारक, आयुक्त सह-सचिव (शिक्षा) मेघालय सरकार
53. डॉ. प्रदीप पंत, मंत्री के निजी सचिव, उड़ीशा सरकार
54. श्री ए. अन्बारसू, सचिव (शिक्षा), पुद्दुचेरी सरकार
55. श्री कृष्ण कुमार, सचिव (स्कूल शिक्षा), पंजाब सरकार
56. श्री जी.पी. उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
57. श्री प्रदीप यादव, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, तमिलनाडू सरकार
58. श्री नरेश पाल गंगवार, सचिव (माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान सरकार
59. श्री आर.आर. आचार्य, विशेष मुख्य सचिव (शिक्षा), तेलंगाना सरकार
60. श्री जीएसजी आयंगर, प्रधान आयुक्त, त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली
61. डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम सिंह, निदेशक, आधारभूत शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ
62. श्री डी. नाराइला, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

63. डॉ. सुमन गोविल, वरिष्ठ सलाहकार, जैव-तकनीकी विभाग दिल्ली
64. प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
65. प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
66. डॉ. ब्रज बिहारी कुमार, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
67. प्रो. फुरकान कमर, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
68. श्री सिसुर कुमार बनर्जी, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)
69. प्रो. सुधीर के. जैन, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
70. स्वामी आत्माप्रियनन्दा, कुलपति, रामाकृष्ण मिशन
71. डॉ. जोरम बेगी, पूर्व-निदेशक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, अरूणांचल प्रदेश सरकार
72. सुश्री अंजली देशपाण्डे, 'दृष्टि' स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र की संस्थापक सचिव
73. श्री दिलीप के. रणजेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीम फाउंडेशन
74. डॉ. स्वरूप समपत, केब सदस्य, जूहू, मुम्बई-400056
75. सुश्री मंजू सिंह, मीडिया प्रोफेशनल एवं एक्ट्रेस वर्ल्ड किड्स फाउंडेशन
76. डॉ. नहीद अबीदी, शिवपुर वाराणसी
77. श्री लतीफ मैगदम, सचिव, महाराष्ट्र कॉस्मोपोलिटन एजूकेशन सोसाइटी
78. श्री पी.के. ठाकुर, सचिव, यूजीसी
79. डॉ. अविचल कपूर, संयुक्त सचिव, यूजीसी
80. डॉ. सुनीता सिवच, संयुक्त सचिव, यूजीसी
81. श्री गिरीश जोशी, निदेशक, सीसीआरटी, कृषि मंत्रालय
82. डॉ. मैत्रेयी दत्ता, प्रोफेसर, एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़
83. डॉ. जे.एस.सैनी, प्रोफेसर, एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़
84. डॉ. संजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर, एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़
85. श्री अमित कुमार जैन, प्रबंधक, सीवीएल - एनएडी
86. श्री इंदरपाल, ए.ओ, मणिपुर भवन, नई दिल्ली
87. श्री मनोज कुमार सिंह, निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
88. श्री अभय कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री, झारखण्ड के निजी सचिव
89. सुश्री ज़रीन राज, डीडीई(आरटीई), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी, दिल्ली
90. श्री आशीष जेतली, सहायक प्रबंधक,
91. श्री प्रष्कांत अरोड़ा, सहायक प्रबंधक,
92. डॉ. लेथा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, टीएसजी
93. वी.के.सिल्जो, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
94. गुलशन लाल, परामर्शदाता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
95. गोपाल सधवानी, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय
96. सुश्री पूर्णिमा शुक्ला, परामर्शदाता, एडसिल

97. सुश्री वंदना, परामर्शदाता, एडसिल
98. श्री सज्जाद अहमद, परामर्शदाता, एडसिल
99. श्री बिपिन कुमार, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
100. श्री आशीष चौहान, परामर्शदाता, एडसिल
101. श्री नितिश कुमार, परामर्शदाता, एडसिल
102. श्री अरूण कुमार यादव, उप सचिव, यूवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
103. श्री अब्दुल रशीद वार, एसपीडी, एसएसए
104. श्री ताफेल मट्टू, एसपीडी, आरएमएसए
105. श्री मंज़ूर लोन, एचईएम के निजी सचिव, जम्मू-कश्मीर
106. श्री तिलक लाम्बा, कार्यालय प्रबंधक, रुसा
107. श्री अजीत सिंह, आईटी मैनेजर, रुसा
108. श्रीमती सुगंधा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, रुसा
109. श्रीमती सुमन शुक्ला, सीनियर कंसल्टेंट, रुसा
110. श्री एम सरवानन, रुसा
111. श्री विवेक नागपाल, सीनियर सलाहकार रुसा
112. प्रो. इंद्रानी भंडारी, प्रमुख ईएसडी एनसीईआरटी
113. प्रो. के. श्रीनिवास, एनआईईपीए, दिल्ली
114. प्रो. अविनाश कुमार सिंह, एनआईईपीए, दिल्ली
115. प्रो. रश्मी दीवान, एनआईईपीए, दिल्ली
116. श्री माणिक मंडल, डीएस एमएचआरडी
117. श्री डी.के.डी. राव, डीएस (यूटी) एमएचआरडी
118. श्री टीएस राउतला, डीएस, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
119. श्री ए.के. राजपूत, प्रो. और प्रमुख डीईई, एनसीईआरटी
120. श्री गिरीश होसूर, निदेशक, एमएचआरडी
121 सुश्री सुरभी जैन, निदेशक, एमएचआरडी
122. श्री मीनाक्षी जॉली, निदेशक, एमएचआरडी
123. सुश्री राशी शर्मा, निदेशक, एमएचआरडी
124. सुश्री नाज़ली शायिन, निदेशक, एमएचआरडी
125. श्री मोहनदासन पी, निदेशक, एमएचआरडी
126. श्री आलोक जवाहर, अवर सचिव, एमएचआरडी
127. श्री अचिंत कुमार, अवर सचिव, एमएचआरडी
128. श्री एम.के. शुक्ला, अवर सचिव, एमएचआरडी
129. श्री पी.के. श्रीवास्तव, अवर सचिव, एमएचआरडी
130. श्री दुष्यंत मेहर, सलाहकार, एनसीपीसीआर, नई दिल्ली
131. श्री परेश शाह, तकनीकी विशेषज्ञ शिक्षा, एनसीपीसीआर

132. श्री शैलेश पी.यू., सहायक संपर्क अधिकारी, कार्यालय/निवासी आयुक्त, केरल हाउस, दिल्ली
133. श्री प्रत्येक मोहन, प्रमुख, नॉर्थ इंडिया, सीवीएल, एनएडी
134. डॉ अनिल शुक्ला, डीएस एनसीटीई
135. श्री मुकेश कुमार, यूएस एनसीटीई
136. प्रोफेसर श्याम सुंदर पटनायक, निदेशक, एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़
137. श्री ओन्कर मराठे, एचआरएम के अतिरिक्त निजी सचिव
138. डॉ अनिल कुमार चंदना, सदस्य, भारतीय चिकित्सा परिषद
139. श्री केए मिनी राम, शिक्षा मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव, केरल सरकार
140. डॉ के जेम्स, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईटीटीटीआर, भोपाल
141. डॉ राजेश कुमार दीक्षित प्रोफेसर, एनआईटीटीटीआर भोपाल
142. श्री वीएस रावत, अतिरिक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग (बेसिक), उत्तराखंड
143. सुश्री किरण एम., सहायक संपर्क अधिकारी, केरल हाउस, दिल्ली
144. श्री शेषाद्री सत्यनारायणन, मानव संसाधन विकास मंत्री के मीडिया सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
145. श्री पी शशिकुमार, उप सचिव, एमएचआरडी
146. श्री अनिल काकरिया, उप-सचिव, एमएचआरडी
147. श्री ए.एन. रामचंद्र, संयुक्त आयुक्त एनवीएस, नोएडा
148. श्री जुगल किशोर, डिप्टी कमिश्नर (शैक्षिक) एनवीएस
149. श्री फुलबार अली, डीएस, प्रारंभिक स्कूल शिक्षा असम
150. श्री एचआरपी यादव, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर (इंडिया), दिल्ली
151. श्री मोहिंदरपाल, राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल निदेशालय शिक्षा, पुडुचेरी
152. श्री बनुचंदर नागराजन, कार्यालय माननीय एचआरएम
153. श्री विपरा भाल, एसपीडी एसएसए और निदेशक (एसई), झारखंड सरकार
154. डॉ पूनम श्रीवास्तव, उप सलाहकार, नीति आयोग
155. प्रोफेसर एन.वी. वर्गीस, कुलपति, एनआईईपीए
156. डॉ आरएस कुरील, सदस्य, नई शिक्षा नीति समिति
157. श्री राजेंद्र शर्मा, सचिव, शिक्षा मंत्री, हरियाणा
158. प्रो. टी.वी. कट्टीमानी, वीसी, आईजीएनटीयू, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

****

16 जनवरी, 2018 को 65वीं सीएबीई बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची
विज्ञान भवन, नई दिल्ली

1. श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन मंत्री विकास - अध्यक्ष
2. डॉ. महेश शर्मा, संस्कृति राज्य मंत्री और एमओएस (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3. डॉ. सत्य सिंह, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (एचई)
4. श्री के. के. शर्मा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
5. श्री होनचुन गंदम, शिक्षा मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार
6. श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार
7. श्री मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
8. श्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार
9. श्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, शिक्षा मंत्री, जम्मू-कश्मीर सरकार
10. श्रीमती नीरा यादव, मानव संसाधन विकास मंत्री, झारखंड सरकार
11. श्री बसवावराज रायरेड्डी, उच्चतर शिक्षा मंत्री, कर्नाटक सरकार
12. प्रोफेसर सी रविंद्रनाथ, शिक्षा मंत्री, केरल सरकार
13. श्री जय भान सिंह पवैया, उच्चतर शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
14. श्री विनोद तावडे, स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार
15. श्री टी. राधेश्याम, शिक्षा मंत्री, मणिपुर सरकार
16. श्री अनंत दास, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्चतर शिक्षा, ओडिशा सरकार
17. श्री आर कमलकानन, शिक्षा मंत्री, पुडुचेरी सरकार
18. श्री आर बी सुब्बा, मानव संसाधन विकास मंत्री, सिक्किम सरकार
19. थिरू के.पी. अनबाजहगन, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार
20. श्री कडियाम श्रीहरि, उपमुख्यमंत्री और मंत्री (शिक्षा), हैदराबाद, तेलंगाना।
21. डॉ. दिनेश शर्मा, मंत्री (उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश सरकार
22. श्री धन सिंह रावत, उच्चतर शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार
23. श्री शुभंकर घोष, निदेशक/एसपीडी (शिक्षा), अंडमान और निकोबार
24. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा / स्कूल शिक्षा), आंध्र प्रदेश सरकार
25. श्री बिदोल तैयंग, सचिव (शिक्षा), शिक्षा विभाग, अरुणाचल प्रदेश
26. श्री शिरीष रंजन, ओएसडी, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
27. श्री बी. एल. शर्मा, सचिव शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन।
28. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, यूटी., चंडीगढ़
29. श्री राकेश कुमार निदेशक, उच्चतर शिक्षा, सिल्वासा, दादर नगर हवेली

30. श्री हर्षित जैन, निदेशक शिक्षा, दमन और दीव।
31. सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार
32. प्रधान सचिव, (उच्चतर और तकनीकी शिक्षा), गुजरात सरकार
33. डॉ कुलदीप सिंह बेनिवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्चतर शिक्षा), हरियाणा सरकार
34. डॉ अरुण कुमार शर्मा, सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार
35. श्री असगर समून, प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा), जम्मू
36. सचिव (उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा), झारखंड सरकार
37. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, केरल सरकार
38. श्री नीरज मंडलोई, प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा), मध्य प्रदेश सरकार
39. आयुक्त (उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा), मणिपुर सरकार
40. श्री जी.वी.वी. शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार
41. श्री ए. अंबरसु, सचिव (शिक्षा), पुडुचेरी सरकार
42. श्री एम. पी. अरोड़ा, विशेष सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार
43. अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्चतर और तकनीकी शिक्षा), राजस्थान सरकार
44. सचिव (उच्चतर शिक्षा), राजस्थान सरकार
45. डॉ. जीएसजी अयंगार, प्रिंसिपल निवासी आयुक्त त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली।
46. श्री संजय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा), उत्तर प्रदेश सरकार।
47. अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्चतर शिक्षा), उत्तराखंड सरकार
48. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
49. प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास), पश्चिम बंगाल सरकार
50. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
51. सुश्री गरिमा गुप्ता, आईएएस, निदेशक उच्चतर शिक्षा, जीएनसीटीडी।
52. श्री मनोज कुमार, आईएएस, निदेशक तकनीकी शिक्षा
53. श्री अरविंद कुमार मीना, संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा, कोलकाता
54. श्री राजदीप दत्ता, उप.आरईएस आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार
55. डॉ रंजीत सिन्हा, अतिरिक्त सचिव, योजना और उच्चतर शिक्षा, उत्तराखंड।
56. श्री मोहिंदर पाल, राज्य परियोजना निदेशक, पुडुचेरी।
57. डॉ कमल कुमार पांडे, डी.डी. उच्चतर शिक्षा, उत्तराखंड, हल्दवानी
58. श्री तिलक राज लांबा, कार्यालय प्रबंधक, रुसा, दिल्ली
59. डॉ एस. ए. कोरी, कार्यकारी निदेशक, सरकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थान।
60. श्री संजय कुमार सिन्हा, जेएस, एमएचआरडी।
61. श्री संजीव शर्मा, राज्य मंत्री के निजी सचिव (एसपीएस), एमएचआरडी।
62. श्री एमके भंडारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी सचिव
63. डॉ. एन सरवना कुमार, जेएस, एमएचआरडी।

64. श्री एस. एस. संधू, एएस, एमएचआरडी।
65. सुश्री ईशिता रॉय, जेएस, एमएचआरडी।
66. श्री मधु रंजन कुमार, जेएस, एमएचआरडी
67. श्री बी एन तिवारी, डीडीजी (एसटीएटी), एमएचआरडी।
68. श्री राज कुमार, निदेशक, एमएचआरडी
69. श्री एन.एस. रघुवंशी, निदेशक, एमएनआईटी, भोपाल, एमपी।
70. श्री उदय कुमार आर. यारागट्टी, निदेशक, एमएनआईटी जयपुर।
71. प्रोफेसर सी बी शर्मा, अध्यक्ष, एनआईओएस।
72. श्री सी धारुमन, सचिव, एनआईओएस।
73. श्री दीप्तीमान दास, सीएमडी, एडसिल।
74. प्रो. एनआर जगन्नाथन, आईएनएसए, नई दिल्ली।
75. श्री इंदर धमिजा, संयुक्त सचिव, खेल विभाग
76. श्री अरुण कुमार यादव, उप सचिव, खेल विभाग
77. श्री जी पी अपध्याय, एडीएल. सीएस मानव संसाधन विकास, सिक्किम सरकार
78. सुश्री रंजीव आर आचार्य, विशेष सीएस-एजुकेशन, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद
79. प्रोफेसर डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान
80. प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, एआईसीटीई
81. डॉ. ब्रज बिहारी कुमार, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ।
82. प्रोफेसर येलप्रगदा सुदर्शन राव, अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
83. प्रोफेसर फुरकान कमर, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
84. श्री सिसीर कुमार बनर्जी, अध्यक्ष, इंजीनियर संस्थान (भारत)
85. प्रो. एस.ए. बारी, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात
86. प्रोफेसर चंद्रकला पदिया, अध्यक्ष, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला।
87. प्रोफेसर सुधीर के. जैन, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधी नगर
88. श्री स्वामी आत्मप्रियानंद, कुलपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय।
89. डॉ. जोराम बेगी, पूर्व निदेशक, उच्चतर निदेशालय और तकनीकी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार
90. सुश्री अंजली देशपांडे, 'दृष्टि' स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र के संस्थापक सचिव।
91. श्री दिलीप के. रणजीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन।
92. डॉ स्वरुप सम्पत, अभिनेत्री, जेवीपीडी योजना।
93. सुश्री मंजू सिंह, मीडिया प्रोफेशनल एंड अभिनेत्री, वर्ल्ड किड्स फाउंडेशन, मुंबई।
94. प्रोफेसर पंकज चंदे, महाराष्ट्र
95. डॉ नाहिद अबिदी, वाराणसी
96. श्री लतीफ मगदम, सचिव, महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन शिक्षा, समाज, महाराष्ट्र।
97. डॉ पूनम श्रीवास्तव, डिप्टी सलाहकार, नीति आयोग।

98. प्रो. टी.वी. कथिमानी, कुलपति, आईजीएन जनजातीय विश्वविद्यालय।
99. श्री विजय गुप्ता, एनएसडीएल, मुंबई
100. मार्सेल एकका, अतिरिक्त, डीई, शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी, दिल्ली
101. सुश्री ज़रेन्तेज, डीडीई (आरटीई), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटी, दिल्ली
102. सुश्री वंदना, परामर्शदाता, एमएचआरडी
103. श्री आर के चतुर्वेदी, डीजी, एमएसडीए
104. श्री अनिल कुमार, निदेशक (वित्त), एमएचआरडी
105. श्री प्रवीण नंदवाना, शास्त्री भवन।
106. डीएस (ए) टीएस-IV, एमएचआरडी
107. सुश्री मालथी नारायणन, डीएस (टीई), एमएचआरडी
108. सुश्री रीना सोनोवाल कौली, निदेशक, शास्त्री भवन।
109. श्री मनोज कुमार शुक्ला, एडीएफ, एमएचआरडी
110. श्री फजल महमूद, डीएस (वित्त), एमएचआरडी
111. श्री सुबोध कुमार घिल्डियाल, डीएस (सीयू), एमएचआरडी
112. श्री सौम्या साक्षी, सहायक निदेशक, एमएचआरडी
113. श्री हरि राम मीना, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी, एमएचआरडी।
114. डॉ विनोद के. भारद्वाज, सहयोगी प्रोफेसर, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, राजस्थान सरकार
115. श्री के. ए. मणिराम, शिक्षा मंत्री के एपीएस, केरल सरकार
116. श्री शौर्य संगम, परामर्शदाता, एनएसडीए, कौशल मंत्रालय विकास।
117. प्रो. चंचल मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईटीटीटीआर, भोपाल।
118. श्री आर.के. दीक्षित, एनआईटीटीटीआर, भोपाल।
119. डॉ. जोशना अर्नेस्ट, एनआईटीटीआर, भोपाल।
120. श्री किशोर कुमार, शिक्षा अधिकारी, यूजीसी, दिल्ली।
121. श्री आर श्रीधर, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो, यूजीसी, दिल्ली।
122. श्री मंज़ूर अहमद शिक्षा मंत्री के पीपीएस, जम्मू-कश्मीर।
123. प्रो. के श्रीनिवास, एनआईईपीए, नई दिल्ली।
124. श्री ए.एन. रामचंद्र, जेटी, आयुक्त, एनवीएस।
125. श्री सुधांशु भूषण, एनआईईपीए, नई दिल्ली।
126. सुश्री सुगंधा गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट, रुसा।
127. सुश्री सुमन, शुक्ला, सीनियर कंसल्टेंट, रुसा।
128. श्री एम सरवन, सीनियर कंसल्टेंट, रुसा।
129. श्री विवेक नागपाल, सीनियर कंसल्टेंट, रुसा
130. डॉ. के जेम्स, सहायक, प्रोफेसर, एनआईटीटीआर, भोपाल।
131. श्री विजय कुमार, डीएस, उच्चतर शिक्षा विभाग।
132. प्रो. जेएस सैनी, एनआईटीटीआर, चंडीगढ़।

133. प्रो. ईएस सुरेश, एनआईटीटीआर, चेन्नई।
134. प्रो. एसएन पांडा, निदेशक, एनआईटीटीटीआर, चेन्नई।
135. श्री अजय मिश्रा, डीडीजी, कौशल विकास मंत्रालय।
136. डॉ. अनिल शुक्ला, डीएस, एनसीटीई, एमएचआरडी।
137. श्री मुकेश कुमार, यूएस, एनसीटीई, एमएचआरडी।
138. श्री अजीत सिंह, आईटी, प्रबंधक, रुसा।
139. डॉ. मैत्रीय दत्ता, एनआईटीटीआर, चंडीगढ़।
140. डॉ. संजय शर्मा, एनआईटीटीआर, चंडीगढ़।
141. श्री एन.सी. राजन, डीएस, एमएचआरडी।

***